उत्तर प्रदेश सरकार

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या- 05 /2019/ 1077 /46-3-19-58(120)/2008

लखनऊ: दिनांक : 06 जून, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के **परन्तुक** द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा नियमावली, 1979 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं;

उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

<

2-नियम-3 में, नया नियम- 3 (तीन-ख) एवं नियम- 3 (सात- क) का बढाया जाना	उक्त नियमावली में, नियम-3 (तीन-क) एवं नियम-3(सात) के पश्चात निम्नलिखित नया नियम-3 (तीन-ख) एवं नियम- 3(सात-क) बढा दिया जायेगा, अर्थात्:- **नियम-3 (तीन-ख) "अधिनियम"** का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994," से है। **नियम- 3(सात-क) "नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो"** का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गो से है;

3-नियम-6 का प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात,

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
आरक्षण- 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।	**आरक्षण- 6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- नियम-9 का संशोधन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ- 1	स्तम्भ- 2
विद्यमान नियम	**एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
शौक्षिक अर्हताएं- 9- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है:- **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। **(दो)** कम्प्यूटर संचालन में डी. ओ. ई. ए. सी. सी. (डोएक) सोसायटी द्वारा प्रदान किया गया "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र।	**शौक्षिक अर्हताएं- 9-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है:- **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि। **(दो)** कम्प्यूटर संचालन में डी. ओ. ई. ए. सी. सी. (डोएक) सोसायटी द्वारा प्रदान किया गया "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र।

5-नियम-17 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17- नियुक्ति- (1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 14 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियां करेगा। **(2)** नियुक्ति प्राधिकारी आस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम-(1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों को कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है।	**17- नियुक्ति- (1)** नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 14 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्ति करेगा, परन्तु वे अपने गृह जनपद में पद स्थापित नहीं किये जायेंगे। **(2)** यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसा चयन में अवधारित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6-नियम-21 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
वेतनमान-21- (1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रवृत्त होने के समय वेतनमान रू. 2400/- ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड-1 (रू.5200-20200) होगा।	**वेतनमान-21- (1)** सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान **परिशिष्ट- "क"** में दिया गया है।

7-नियम-22 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-22 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
22.परिवीक्षा अवधि में वेतन (1) फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि 02 वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो : परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।	**22.परिवीक्षा अवधि में वेतन** (1) फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई, उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ; परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ; परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।	(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा ; परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि वेतन सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।	(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामन्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

8- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान **परिशिष्ट- "क"** , के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी **परिशिष्ट** रख दी जायेगी, अर्थात-

स्तम्भ-1				**स्तम्भ-2**				
विद्यमान परिशिष्ट				**एततद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट- "क"**				
परिशिष्ट- "क"				**परिशिष्ट- "क"**				
पद का नाम	**सदस्य संख्या**			**पद का नाम**	**सदस्य संख्या**			**वेतनमान**
	स्थायी	**अस्थायी**	**योग**		**स्थायी**	**अस्थायी**	**योग**	
गन्ना पर्यवेक्षक	3767	----	3767	**गन्ना पर्यवेक्षक**	3767	----	3767	**वेतन . मैट्रिक्स लेवल-4, रु.25500-81100**

आज्ञा से

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या - 05 /2019/1077(1)/46-3-19-58(120)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ.प्र., ऐशबाग, लखनऊ को, अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी (हस्ताक्षरित) की एक-एक प्रति सहित, इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचनाओं को दिनांक 06 जून, 2019 के असाधारण गजट अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराने एवं अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी (प्रत्येक) की 500 मुद्रित प्रतियां प्राथमिकता पर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

कमल किशोर गुप्त
संयुक्त सचिव।

संख्या- 05 /2019/1077(2)/46-3-19-58(120)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ
3- कार्मिक नियमावली सेल, कार्मिक विभाग, उ.प्र. शासन।
4- कार्मिक अनुभाग-1, उ.प्र. शासन।
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कमल किशोर गुप्त
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 05 /2019/ 1077 /46-3-19-58(120)/2008 dated:: June 06, 2019:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
CHINI UDYOG ANUBHAG-3

NOTIFICATION
Miscellaneous

N0. 05 /2019/ 1077 /46-3-19-58(120)/2008
Dated : Lucknow: June 06, 2019

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Ganna Paryavekshak (Group III) Service Rules, 1979:

THE UTTAR PRADESH GANNA PARYAVEKSHAK (GROUP- III) SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2019

(Short title and commencement) 1.(1)These rules may be called the Uttar Pradesh Ganna Paryavekshak (Group III) Service (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

Insertion of new rule, 3(III b), 3(vii a)	2. In the said rules after 3 (iii a) and 3 (vii) the following rule 3(III b), 3(vii a) shall be inserted namely:- 3(III b) **"ACT"** means, The UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes) Act, 1994; 3(vii a) **"Other backward classes of citizen"** means the backward classes of citizen specified in Schedule-I of the Act, or amended time to time;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. (Substitution of rule 6) In the said rules, for existing rule 6 set out in column- I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	**Rule as hereby substituted**
Reservation:- **6.** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time to recruitment.	**Reservation**:- **6.** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act,1993, as amended from time to time, and orders of the Government in force at the time of the recruitment.

4. Amendment of rule 9 In the said rules, for existing rule 9 set out in column-I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hareby Substituted**
Academic qualifications- 9.(1) A candidate for direct recruitment to a post in the service must possess the following qualifications: (i) Bachelor's degree in Agriculture Science from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto; (ii) "CCC" Certificate in Computer operation awarded by the DOEACC Society.	**Academic qualifications- 9.** (1) A candidate for direct recruitment to a post in the service must possess the following qualifications: (i) Bachelor's degree in Agriculture Science from a University established by law in India. (ii) "CCC" Certificate in Computer operation awarded by the DOEACC Society.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. **(Substitution of rule 17)** In the said rules, for existing rule-17 set out in column-I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hareby Substituted**
Appointment-17.(1)The appointing authority shall make appointment by taking the name of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 14." (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.	**Appointment-17.**(1)The appointing authority shall make appointment by taking the name of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 14, but they shall not be posted in home district. " (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

6.(Substitution of rule 21) In the said rules, for existing rule-21 set out in column-I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hareby Substituted**
Scale of pay- 21. (1) "The Scale of Pay admissible to persons appointed to the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time." **(2)** The Scale of Pay at the time of the Commencement of the Uttar Pradesh Ganna Paryavekshak (Group III) Service (Second Amendment) Rules, 2015 is Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade pay Rs. 2400/-	**Scale of pay-21. (1)** "The scale of pay admissible to persons appointed to the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time." **(2)** The scales of pay at the time of commencement of these rules are given in the Appendix-"A".

http://shasanadesh.up.nic.in

7. **(Substitution of rule 22)** In the said rules, for existing rule 22 set out in column-I below, the rule as set out in column- 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing Rule	**Rule as hareby Substituted**
Pay during probation 22.(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on Probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and has passed the prescribed departmental examination, if any, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed; Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (2) The Pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant rules; Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (3) The Pay during the probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules.	**Pay during probation 22.(1)** Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on Probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and has passed the prescribed departmental examination, if any, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed: Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (2) The Pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules; Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise. (3) The Pay during the probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

8.In the said rules, for existing appendix 'A' set out in column-1 below, the Appendix as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1				**COLUMN 2**				
Existing Appendix- "A"				**Appendix- "A"as hereby Substituted**				
Appendix- "A"				**Appendix- "A"**				
Name of Post	Strength			Name of Post	Strength			Pay Scale
	Permanent	Temporary	Total		Permanent	Temporary	Total	
Ganna Paryavekshak	3767	----	3767	Ganna Paryavekshak	3767	----	3767	**Pay Matrix Level-4, Rs.25500-81100,.**

By order,

SANJAY R. BHOOSREDDY
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।